निग0 5989/2018/अपील्या/भू-रा0 (140)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा

बिहारी लाल पिता काशी प्रसाद बारी उम्र 80 वर्ष पेशा खेती निवासी चंदिया थाना व तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0 —आवेदक

बनाम

1— रामखेलावन पिता श्री रामावतार बारी उम्र 55 वर्ष

2— मुकेश बारी तनय स्व0 रामाधार वारी उम्र 35 वर्ष

3— नरेश कुमार बारी तनय स्व0 रामाधार बारी उम्र 26 वर्ष

4— गुल्ली उर्फ मीरा बाई वेवा स्व0 रामधार बारी उम्र 58 वर्ष

सभी निवासी ग्राम चदियां थाना व तह0 चंदिया जिला उमरिया म0प्र0

5— गुड्डी उर्फ ममता बारी पिता स्व0 रामाधार बारी उम्र 33 वर्ष सा0 खलेशर थाना उमरिया जिला उमरिया म0प्र0

6— मीरा बारी तनय स्व0 रामाधार बारी उम्र 30 वर्ष

7— मन्नू बारी पिता स्व0 रामाधार बारी उम्र 28 वर्ष

दोनो निवासी विरसिंहपुर पाली थाना व तह0 पाली जिला उमरिया म0प्र0

8— किरना बारी पिता स्व0 रामाधार बारी उम्र 24 वर्ष निवासी चाका थाना पाली जिला उमरिया म0प्र0

9— शासन म0प्र0 जरिये तहसीलदार चंदिया जिला उमरिया म0प्र0

——— अनावेदकगण

निगरानी विरूद्व आदेश जिला कलेक्टर उमरिया के राजस्व प्रकरण क0. 02/निगरानी / 2017—18 आदेश दिनांक 26—12—17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

33

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0/5989/2018 जिला–उमरिया

बिहारीलाल प्रसाद काशी/रामखेलावन बारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 02/निगरानी/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडाल के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	